शपथ–पत्र

(एमबीबीएस पाठ्यक्रम के उपरान्त मूल दस्तावेज प्राप्त करने तथा बाण्ड राशि रू. ...../– (रूपये ..... लाख मात्र) की बैंक गारण्टी जमा करने से छूटएवं उक्त राशि की अनडेटेड चेक जमा करने बावत्)

मैं ..... पुत्र/पुत्री ..... निवासी ... . शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि

1. यह कि मैं एमबीबीएस पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में वर्ष ..... में प्रवेश हुआ था।
2. यह कि मैं एमबीबीएस पाठ्यक्रम के उपरान्त 01 या 02 वर्ष की ग्रामीण सेवा हेतु मध्यप्रदेश शासन अन्तर्गत बाण्डेड हूं।
3. यह कि मेरे द्वारा नीट पीजी वर्ष ..... में Percentile ..... AIR ..... हासिल की है।
4. यह कि मुझे कोर्स ..... कॉलेज ..... में नीट पीजी वर्ष ..... काउन्सिलिंग के माध्यम से पीजी पाठ्यक्रम अध्ययन हेतु आवंटन हुआ है।
5. यह कि मेरे द्वारा उक्त पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त एमबीबीएस पाठ्यक्रम के 01 या 02 वर्ष की ग्रामीण बाण्ड सेवा अवधि नियमानुसार पूर्ण की जावेगी।
6. यह कि चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में जमा मेरे मूल दस्तावेज प्राप्त करने हेतु तथा बाण्ड राशि रू. ..... (रूपये ..... लाख मात्र) की बैंक गारण्टी जमा करने की छूट प्राप्त करने एवं उक्त राशि की अनडेटेड चेक (चेक क्र. ..... खाताधारक का नाम ..... बैंक का नाम .....) जमा करने के लिये शपथ–पत्र निष्पादित कर रहा/रही हूं।
7. यह कि उक्त पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त एमबीबीएस पाठ्यक्रम के 01 वर्ष या 02 वर्ष की ग्रामीण सेवा बाण्ड अवधि पूर्ण नहीं की जाती है, तो मेरे अभिभावक द्वारा ग्रामीण सेवा की बाण्ड शर्त अनुसार उल्लेखित राशि रू. ..... (रूपये ..... लाख मात्र) महाविद्यालय में जमा की जावेगी अथवा महाविद्यालय में जमा चेक में से बन्धपत्र की राशि का भुगतान कर लिया जावेगा।
8. यह कि मेरे द्वारा नीट पीजी वर्ष ..... की काउन्सिलिंग में उस महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम जिसमें स्थायीं रूप से प्रवेश लिया गया है की, जानकारी मेरे द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा को 07 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से दी जावेगी।
9. यह कि कण्डिका क्र. 05, 07 एवं 08 के उल्लंघन की दशा में मेरा मेडिकल रजिस्ट्रेशन रद्द किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।
10. यह कि मूल दस्तावेज प्राप्त करने के उपरान्त मेरे द्वारा पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया जाता है या मेरे द्वारा पीजी पाठ्यक्रम से त्याग पत्र दिया जाता है, तो मूल दस्तावेज महाविद्यालय में जमा करते हुये एमबीबीएस पाठ्यक्रम की ग्रामीण सेवा बन्धपत्र की शर्त का पालन किया जावेगा।

दिनांक :

गवाह

हस्ताक्षर

नाम .....

पता .....

मोबा. .....

आधार नं. .....

शपथ–पत्र

(एमबीबीएस पाठ्यक्रम के उपरान्त मूल दस्तावेज प्राप्त करने तथा बाण्ड राशि रू. ...../– (रूपये ..... लाख मात्र) की बैंक गारण्टी जमा करने से छूट एवं उक्त राशि की अनडेटेड चेक जमा करने बावत्)

मैं ..... निवासी .....
..... आधार संख्या .....शपथपूर्वक कथन करता हूं कि

1. यह कि मेरे पुत्र/पुत्री एमबीबीएस पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में वर्ष ..... में प्रवेश हुआ था।
2. यह कि मेरे पुत्र/पुत्री एमबीबीएस पाठ्यक्रम के उपरान्त 01 वर्ष या 02 वर्ष की ग्रामीण सेवा हेतु मध्यप्रदेश शासन अन्तर्गत बाण्डेड है।
3. यह कि मेरे पुत्र/पुत्री ने नीट पीजी वर्ष ..... में Percentile ..... AIR .... हासिल की है।
4. यह कि मेरे पुत्र/पुत्री को कोर्स ..... कॉलेज .... में नीट पीजी वर्ष ..... काउन्सिलिंग के माध्यम से पीजी पाठ्यक्रम अध्ययन हेतु आवंटन हुआ है।
5. यह कि मेरे पुत्र/पुत्री द्वारा उक्त पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त एमबीबीएस पाठ्यक्रम के 01 वर्ष या 02 वर्ष की ग्रामीण बाण्ड सेवा अवधि नियमानुसार पूर्ण की जावेगी।
6. यह कि मेरे पुत्र/पुत्री के चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में जमा मूल दस्तावेज प्राप्त करने हेतु तथा बाण्ड राशि रू. ..... (रूपये ..... लाख मात्र) की बैंक गारण्टी जमा करने की छूट प्राप्त करने एवं उक्त राशि की अनडेटेड चेक (चेक क्र. ..... खाता धारक का नाम .... बैंक का नाम .....) जमा करने के लिये शपथ–पत्र निष्पादित कर रहा/रही हूं।
7. यह कि मेरे पुत्र/पुत्री द्वारा उक्त पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त एमबीबीएस पाठ्यक्रम के 01 या 02 वर्ष की ग्रामीण सेवा बाण्ड अवधि पूर्ण नहीं की जाती है, तो मेरे द्वारा ग्रामीण सेवा की बाण्ड शर्त अनुसार उल्लेखित राशि रू. ..... (रूपये ..... लाख मात्र) महाविद्यालय में जमा की जावेगी अथवा महाविद्यालय में जमा चेक में से बन्धपत्र की राशि का भुगतान कर लिया जावेगा।
8. यह कि मेरे पुत्र/पुत्री द्वारा नीट पीजी वर्ष ..... काउन्सिलिंग में उस महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम जिसमे स्थायी रूप से प्रवेश लिया गया है की, जानकारी मेरे द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा को 07 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से दी जावेगी।
9. यह कि कण्डिका क्र. 05, 07 एवं 08 के उल्लंघन की दशा में मेरे पुत्र/पुत्री का मेडिकल रजिस्ट्रेशन रद्द किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।
10. यह कि मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा मूल दस्तावेज प्राप्त करने के उपरान्त पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया जाता है या पीजी पाठ्यक्रम से त्याग पत्र दिया जाता है, तो मूल दस्तावेज महाविद्यालय में जमा करते हुये एमबीबीएस पाठ्यक्रम की ग्रामीण सेवा बन्धपत्र की शर्त का पालन किया जावेगा।

दिनांक :

गवाह

हस्ताक्षर

नाम .....
पता .....
मोबा. .....
आधार नं. .....

PROFORMA FOR NOTARIZED AFFIDAVIT

1- I Dr._____S/o,D/o Shri_____aged about_____ years, resident of_____ do hereby solemnly affirm and state on oath as unde:-

1- THAT, I have completed my MBBS course from this institution and my original documents are currently in the custody of the College administration due to the mandatory rural service bond obligations.
2- THAT, I have qualified for NEET P.G. 2026 and am participating in the on going counselling process. The last date for counselling/reporting is 10/11/2026.
3- THAT I am aware that the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh in W.P. No. 45127/2026 Manish Patel and others V/s The state of Madhya Pradesh and others passed a Final order on 28/10/2026 directing the return of original documents under certain conditions.
4- THAT I shall **deposit the original documents in the colleges, where I will take admission for the Post-Graduation course, and the same shall be released only after the completion of the period of Rural posting. I shall submit a copy of this order to the medical colleges situated in any part of India for compliance of the above directions at the time of admission.**

DEPONENT

Nmae_____
NEET PG. Roll. No._____
Mobile No._____

VERIFICATION

1- Dr._____ the deponent named above, do hereby verify that the contents of paragraphs 1 to 4 of this affidavit are true to my personal knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed.

Verified at_____on this_____ day of Nov.2026.